श्री अबरार अहमद कमर, अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा दिनांक 24.08.2013 को अंचल कार्यालय, सिहेश्वर के राजस्व कार्यो की समीक्षा से संबंधित समीक्षात्मक टिप्पणी।

....

दिनांक 24.08.2013 को अंचल कार्यालय , सिहेंश्वर में किये जा रहे राजस्व सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यो की समीक्षा अंचल अधिकारी, सिहेंश्वर की उपस्थिति में की गई, स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

वासरहित महादलित परिवारों को भूमि उपलब्ध कराना :-

वासरहित महादलित परिवारों को प्रत्येक परिवार 03 डी0 की दर से वास भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा की गई । अंचल अधिकारी, सिहेंश्वर एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक, सिहेंश्वर ने बताया कि अंचल कार्यालय , सिहेंश्वर में प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में सर्वेक्षित वासरहित महादलित परिवारों में 202 परिवार ऐसे है जिन्हें अब तक वासभूमि उपलब नहीं करायी जा सकी है। इन 202 परिवारों में से वैसे महादलित परिवारों की भी सूची तैयार कर ली गई है जिन्हें किसी भी श्रोत से वासभूमि उपलबध हो गई है या वे क्षेत्र से अन्यत्र चले गये हैं। ऐसे महादलित परिवारों की संख्या 66 है, जिसकी सूची भी बना ली गई है । शेष वैसे वासभूमि रहित महादलित परिवारों, जिन्हें प्रत्येक परिवार 03 डी0 की दर से वासभूमि उपलब्ध कराना है , की संख्या 136 है, उसकी सूची भी बना ली गई है। यह संतोष का विषय है कि अंचल अधिकारी के मार्गदर्शन में दोनों प्रकार की सूची तैयार कर ली गई । अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि वैसे 66 महादलित परिवारों की सूची अपनी अनुशंसा के साथ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें ताकि सर्वेक्षित सूची से विलोपित करने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , बिहार, पटना को भेजा जा सके । अंचल अधिकारी, सिहेंश्वर एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक को यह भी निदेश दिया गया कि वे वासभूमि पाने के सूयोग्य 136 वासभूमि रहित महादलित परिवारों की समीक्षा कर यह स्पष्ट प्रतिवेदन भेजें कि इनमें कितने महादलित परिवारों को वासगीत पर्चा स्वीकृत करना है , कितने को गैर मजरूआ आम अथवा खास भूमि आवंट्ति करना है तथा कितने परिवारों को क्रय नीति के तहत् भूमि उपब्ध कराना है। साथ ही, इन 136 वासरहित महादलित परिवारों को जमीन का पर्चा /कागजात तथा अद्यतन लगान रसीद देने की भी पूरी तैयारी कर वितरण प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें।

नामांतरण :-

जुलाई 2013 के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर 01.04.2013 से 31.07.13 तक प्राप्त 1640 मामलों में 1452 मामलों को निष्पादित किया गया है तथा 188 मामले लंबित बताये गये । हल्का कर्मचारी को 1452 मामलों का शुद्धिपत्र निर्गत दिखाया गया है ।

आर0टी0पी0एस0 काउन्टर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 15.08.2011 (जब से आर0टी0पी0एस0 लागू हुआ) से 31.07.2013 तक नामांतरण के कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या-2930 है जिसमें 2742 आवेदनों का निष्पादन किया गया है तथा 188 मामले लंबित है।

दाख्लि खारिज की एक पंजी जिस पर पृष्ठ प्रमाण पत्र दिनांक 08.07.2013 को दर्ज किया गया है , अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी। इस पंजी में नामांतरण वाद संख्या-1534/13-14 से 1875/13-14 तक दर्ज है । अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामांतरण वाद संख्या-1536/13-14 बनाम निर्मला देवी को स्वीकृत दर्शाया गया है लेकित पंजी में अंचल अधिकारी के द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। वाद संख्या-1537, 1541, 1542/13-14 में भी यही स्थिति है। नामांतरण को स्वीकृत दिखाया गया है परन्तु, अंचल अधिकारी का सत्यापन नहीं है।

नामांतरण वाद संख्या-1551/13-14 बनाम प्रेमलता देवी में 12.07.2013 को जाँच के लिए राजस्व कर्मचारी को दिया गया है , जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है अथवा नहीं , वाद को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया गया है, यह अंकित नही है तथा अंचल अधिकारी का भी हस्ताक्षर नहीं है।

नामांतरण वाद संख्या- 1554/13-14 बनाम बीबी मेसो खातुन में जाँच के लिए राजस्व कर्मचारी को दिनांक 12.07.2013 को दिया गया एवं 15.07.13 को प्रतिवेदन प्राप्त है तथा वाद को स्वीकृत दर्शाया गया है लेकिन अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया है । वाद संख्या- 1555,

1560, 1567,1568,1569, 1574,15761577,1578,1589,1601,1604/13-14 में भी वाद स्वीकृत है परन्तु अंचल अधिकारी का सत्यापन नहीं है। ।

नामांतरण वाद संख्या-1578 बनाम शंभू यादव में दिनांक 15.07.13 को जाँच हेतु राजस्व कर्मचारी को दिया गया है तथा उसी स्थान पर स्वीकृत लिखकर काट दिया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त हुआ या नहीं , स्वीकृत अथवा अस्वीकृत, कुछ भी पंजी में दर्ज नहीं है।

वाद संख्या-1588/13-14 बनाम डोमी राजभर में पंजी के अनुसार 17.07.13 को जाँच हेतु राजस्व कर्मचारी को दिया गया है , जाँज प्रतिवेदन प्राप्त हुआ या नहीं, वाद स्वीकृत अथवा अस्वीकृत है, अंकित नहीं किया गया है।

इसी प्रकार अनेक ऐसे मामले हैं जिन्हें स्वीकृत तो लिखा हुआ है परन्तु अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है ।

समीक्षा के क्रम में कुछ नामांतरण अभिलेखों का भी Randomly अवलोकन किया गया। नामांतरण वाद संख्या 1536,1555 एवं 1556/13-14 के अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया कि नोटिश के पीठ पर '' नोटिश का तामिला किया ''लिखा हुआ है परन्तु तामिलाकर्त्ता अथवा प्राप्तकर्त्ता ,किसी का भी हस्ताक्षर नहीं है। शुद्धिपत्र हल्का कर्मचारी अथवा आवेदक भूधारी को हस्तगत कराया हो , इसका कोई प्रमाण अभिलेख में नहीं है।

शुद्धिपत्र हल्का कर्मचारी अथवा भूधारी आवेदक को प्राप्त कराने हेतु निम्नलिखित प्रपत्र अंचल अधिकारी तथा प्रभारी अंचल निरीक्षक को हस्तगत कराते हुए निदेश दिया गया कि शुद्धिपत्र प्राप्त कराने की एक पंजी संधारित कर अंचल स्तर पर आयोजित होने वाले प्रत्येक साप्ताहिक बैटक में संबंधित हल्का कर्मचारी को शुद्धिपत्र इस प्रपत्र में हस्तगत कराएँगे तथा इसे बैटक की कार्यवाही में भी शामिल करेंगे एवं प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में इसकी विस्तृत समीक्षा कर हस्तगत कराये गये शुद्धिपत्र पर कृत कार्रवाई यथा-जमाबंदी कायम हुआ या नहीं / रसीद काटा गया अथवा नहीं , से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन भी प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे ।

शुद्धिपत्र प्राप्त कराने हेतु विहित प्रपत्र

शुद्धिपत्र निर्गत की तिथि	वाद संख्या / वर्ष	आवेदक भूधारी का नाम/ पता	हल्का नम्बर /हल्का कर्मचारी का नाम	प्राप्तकर्त्ता का पूरा नाम /हस्ताक्षर तथा तिथि
1	2	3	4	5

साथ ही , हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दिये गये दाखिल खारिज आवेदन पत्रों की भी समीक्षा कर हल्का कर्मचारी वार जाँच हेतु लंबित आवेदनों की सूची भी तैयार करेंगे तथा साप्ताहिक बैठक में इसकी समीक्षा अंचल अधिकारी स्वयं करेंगे। प्रत्येक साप्ताहिक बैठक की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी को भी भेजना सुनिश्चित करेंगे।

विविध :-

वासगीत पर्चा अभिलेख संख्या- 02/13-14 बनाम बिसन सादा पिता- स्व0 छवि सादा का अवलोकन किया। ग्राम- मानपुर थाना नं09 थाना गम्हरिया अंचल सिहेंश्वर के खाता संख्या- 88, खेसरा संख्या-356 रकवा- 03 डी0175 कड़ी के वासगीत पर्चा दिनांक 10.08.2013 को निर्गत किया गया है परन्तु उसका लगान रसीद निर्गत नहीं की गई है । अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि वे तीन दिनों के अन्दर लगान रसीद कटवा कर उसकी छाया प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

इसी प्रकार आयुक्त , कोशी प्रमंडल, सहरसा के कार्यालय द्वारा पृष्ठांकित नामांतरण वाद संख्या- 609/12-13 बनाम शशिकान्त शर्मा वो मणिकांत शर्मा ग्राम सिहेंश्वर के मामले में स्वीकृति दी गई है परन्तु लगान रसीद निर्गत नहीं की गई है। अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि वे तीन दिनों के अन्दर लगान रसीद कटवा कर उसकी छाया प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।